TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 4 TH JANUARY, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 4 th January, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 887(E) dated the 22nd November, 1993, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1 Construction of Eye Care Centre in Jodhpur district of Rajasthan, by Smt. Tarabai Desai Charitable Opthalmic Trust, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1994-95, which was extended vide S.O.No. 725(E) dated 17th August, 1995 for a period of three more years beginning with assessment year 1996-97,

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of Eye Care Centre in Jodhpur district of Rajasthan, which is being carried out by Smt. Tarabai Desai Charitable Opthalmic Trust, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, at the estimated cost of rupees one crore eight lakhs thirty two thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2000-2001.

(POMELA B. PRASAD)
Director(National Committee)

No. 11195

F.No. NC-136/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) में दिनांक 4 जनवरी, 2000 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी, 2000

अधिसूचना

सां० आ० (अ) जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 नवम्बर, 1993 की अधि० सां०आ० 887 (अ) द्वारा केन्द्रीय ने क्रम सं० 1 पर श्रीमती ताराबाई देसाई चेरिटेबल ऑफथालमिक ट्रस्ट, शास्त्री नगर, जोधपुर, राजस्थान द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में आई केयर सेन्टर के निर्माण को कर निर्धा० वर्ष 1994-95 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 17 अगस्त, 1995 के सां० आ० (अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था,

और जैसा कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 5 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है,

और राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है,

अतएव अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती ताराबाई देसाई चेरिटेबल ऑफथालमिक ट्रस्ट शास्त्री नगर ,जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जिले में चलाए जा रहे आई केयर सेन्टर के निर्माण की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र एक करोड़ आठ लाख बत्तीस हजार रु० की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना और स्कीम के रूप में कर निर्धा० वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और

अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

प प्रसाद

(पोमेला बी० प्रसाद)

निदेशक (रा०स०)

सं० 11195

फा० सं० रा० स० 136/99